संख्या: 21/2016/1817/छप्पन-2015-81/2013

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 25 फरवरी, 2016

विषय: इलाहाबाद स्थित भारतीय वायुसेना के एयरपोर्ट पर सिविल एन्क्लेव की स्थापना हेतु आवश्यक भूमि आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु भूमि की दर एवं भूमि के कुल मूल्य का अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः 754-56/ए0एफ0-108-12/2015, दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इलाहाबाद के भारतीय वायुसेना के एयरपोर्ट पर सिविल एन्क्लेव की स्थापना हेतु आपसी समझौते के आधार पर कुल 30.3910 हेक्टेयर भूमि क्रय किये जाने हेतु राजस्व विभाग के शासनादेश दिनांक 19.3.2015 द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार कुल मूल्य रूपये 2,89,21,65,906/- (रूपये दो अरब नवासी करोड़ इक्कीस लाख पैंसठ हजार नौ सौ छः मात्र) पर प्रशासकीय अनुमोदन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

इलाहाबाद स्थित भारतीय वायुसेना के एयरपोर्ट पर सिविल एन्क्लेव की स्थापना हेतु कुल 30.3910 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गयी है। चिन्हित भूमि में से निजी भूमि को आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु भू स्वामियों द्वारा रूपये 9,50,00,000/- (रूपये नौ करोड़ पचास लाख मात्र) प्रति हेक्टेयर की दर पर सहमति प्रदान कर दी गयी है। भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों एवं पंजीयन शुल्क आदि को सम्मिलित करते हुए चिन्हित भूमि का मूल्य उक्त दर पर जिलाधिकारी, इलाहाबाद एवं निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा रूपये 2,89,21,65,906/- आंकलित किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल इलाहाबाद स्थित भारतीय वायुसेना के एयरपोर्ट पर सिविल एन्क्लेव की स्थापना हेतु चिन्हित कुल 30.3910 हेक्टेयर भूमि में से निजी भूमि आपसी समझौते के आधार पर निजी भू स्वामियों से रूपये 9,50,00,000/- (रूपये नौ करोड़ पचास लाख मात्र) प्रति हेक्टेयर की दर पर क्रय करने एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

भूमि के कुल मूल्य रूपये 2,89,21,65,906/- (रूपये दो अरब नवासी करोड़ इक्कीस लाख पैंसठ हजार नौ सौ छः मात्र) पर प्रशासकीय अनुमोदन सहर्ष प्रदान करते हैं।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 पूंजी लेखा के अन्तर्गत लेखाशीर्षक " 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन -24- वृहत्त निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह प्रशासकीय स्वीकृति वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: ई-7-141/दस-2016, दिनांक 24 फरवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्याः 21/2016/1817(1)/छप्पन-2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ / इलाहाबाद।
(4) जिलाधिकारी, इलाहाबाद।
(5) अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व/भूमि अध्यासि अधिकारी, इलाहाबाद।
(6) निदेशक, भूमि अध्यासि, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 / नियोजन अनुभाग-4
(8) समीक्षा अधिकारी (बजट)।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।